लुधयाना में दूरसंचार सेवाओं द्वारा समुचित रूप से कार्य न करना

2786. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब के लुधियाना जिले में दूरसंचार सेवाएं समुचित रूप से कार्य नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि लुधियाना जिले में टेलीफोन कई महीनों तक खराब रहते हैं और इस संबंध में दर्ज कराई गई शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) जी, नहीं। लुधियाना में दूरसंचार सेवाएं संतोषप्रद हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) अधिकांश दोषयुक्त टेलीफोनों को तत्परता से ठीक किया जाता है। फिर भी, कुछ मामलों में मानदंडों से अधिक समय लगा जिसके कारण इस प्रकार हैं:—

(i) नगर पालिका द्वारा सड़कों को चौड़ा करने के लिए किए जाने वाली खुदाई के कारण टेलीफोन केबलों को नुकसान पहुंचा।

(ii) नए केबल बिछाते समय मौजूदा केबलों को नुकसान।

(iii) एक्सचेंज सीमाओं में परिवर्तन के करने के कारण आउट-डोर प्लांट की पुनः इंजीनियरी, जिसमें नए कनेक्शन देने के लिए व्यापक स्तर पर केबल नेटवर्क की पुनर्व्यवस्था करनी होती है।

(ङ) निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए गए हैं:—

(i) नगर पालिका के साथ संपर्क में सुधार किया गया है।

(ii) केबलों को हानि पहुंचाने के लिए ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

(iii) केबल मार्गों की गश्त तेज कर दी गई है।

(iv) जहां कहीं व्यवहार्य है, केबलों की व्यापक स्तर पर पुनर्व्यवस्था के काम को कम करने के लिए केबल क्षमता बढ़ाने हेतु पेयर गेन प्रणाली शुरू की जा रही है।

मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

2787. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में उन भूतपूर्व सैनिकों की जिला-वार संख्या कितनी है जिनके नाम सैनिक कल्याण बोर्ड में दर्ज हैं;

(ख) उनके कल्याण के लिये कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) बिलासपुर संभाग के भूतपूर्व सैनिकों को कैंटीन सुविधाएं किन-किन स्थानों से उपलब्ध कराई जा रही हैं और उस स्थान से संभाग के जिलों की दूरी कितनी है; और

(घ) बिलासपुर संभाग के भूतपूर्व सैनिकों को जिला मुख्यालयों में कैंटीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू): (क) मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिक का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास तथा कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में रह रहे भूतपूर्व सैनिकों पर लागू होते हैं। ये कार्यक्रम/योजनाएं इस प्रकार हैं:—

(1) केन्द्र सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के निम्नलिखित प्रतिशत की व्यवस्था कर रखी है:—

	केन्द्र सरकार	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ बैंक
समूह "ग" पद	10%	14.5%
समूह "घ" पद	20%	24.5%

(2) इसके अलावा, अर्द्ध सैन्य बलों में सहायक कमांडेंटों के पदों में 10% आरक्षण की भी